

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोंडाभीम

फर्द अहकाम

मुंज 57/14 तारीख 27/10/14

उजवान - सुभरनसिंह वनाम रुपसिंह  
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री संदीपतीवाड़ी Adv. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील को एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रथम दृष्टया मामला साधल के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः आपको अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से बाबन्द किया जाता है कि ग्राम पांठकरश की भूमि सं. नं 480 रकबा 0.24 हे० की मौके एवं रिकार्ड 2634-41 की यथास्थिति बनोय रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अ प्रार्थीगणों को जरिये सम्मन से तलब कर प्रतावली दिनांक 18.11.14 को पेश हो

उपजिला कलेक्टर  
टोंडाभीम (करौली)

रुपसिंह

18/14 प्रार्थी की ओर से श्री विजयभारती Adv. ने तथा अ प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा Adv. ने कालतनामा पेश किये। P.O. साहब करौली मीटिंग में पधारते हैं। काल अग्रिम आदेश दिनांक 23.10.14

राजौली

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोंडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
23.12.14	वकुलाय उप. / वास्तुजवाय दिनांक 16.1.15 को पेश हो।
16.1.15	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी... है। गतानुसार दिनांक 20.2.15 को पेश हो।
20.2.15	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी... है। गतानुसार दिनांक 23.3.15 को पेश हो।
23.3.15 रूपसी	वकुलाय उपस्थित / वास्तुजवाय दिनांक 27.4.15 को पेश हो। गतानुसार दिनांक 27.4.15 को पेश हो।
27.4.15	वकुलाय उपस्थित / पीठासन मंजूर पर पचोड़ है। गतानुसार दिनांक 25.5.15 को पेश हो।
13.7.15	पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिवि जगदीशपुरा मे दिनांक 13.7.15 को पेश हो।
रूपसी	पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिवि जगदीशपुरा मे पेश हुई।
सुमरणी	वादी सुभरण सिंह प्रतिवादी रूपसी उप. इस वादी एवं प्रतिवादी

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


२

11.14

फर्द अहकाम

उपस्थित / इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित मूल दावा खारिज हो चुका है। इसलिए इस प्रकार को आगे चलाये रखे का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्थिति पर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को मिजबाई जोष/चट पत्रावली दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

पत्रावली फैसले शुभ्रा होकर नयास कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

  
उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)